प्रेस विज्ञप्ति

09/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध धन-शोधन मामले में सुभाष प्रसाद यादव (मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक) और अशोक कुमार (मेसर्स ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) द्वारा अर्जित 67.56 करोड़ रुपये (लगभग) कीमत की 05 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अचल संपत्तियां पटना (बिहार), देहरादून (उत्तराखंड) और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 20 प्राथमिकियों के आधार जांच शुरू की। आरोप है कि मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड अवैध रेत खनन में शामिल है और खनन प्राधिकरण, बिहार द्वारा जारी विभागीय प्रीपेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना रेत की बिक्री करते हुए सरकारी खजाने को 210.68 करोड़ रुपये के भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि रेत की अवैध बिक्री और इसके खनन को मुख्य रूप से एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सुभाष प्रसाद यादव और अशोक कुमार ने सिंडिकेट सदस्य के रूप में मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपराध की भारी आय (पीओसी) अर्जित की जो रेत की अवैध बिक्री में शामिल थी। सुभाष प्रसाद यादव ने अपने द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर पटना के संपतचक में 44.32 करोड़ रुपये की कीमत के तीन भूखंड अधिग्रहित करके अपराध की आय को स्तरित और शोधित किया। अशोक कुमार ने देहरादून में 22.68 करोड़ रुपये की कीमत के एक बोर्डिंग स्कूल का अधिग्रहण करके पीओसी को स्तरित और शोधित किया जिसे एक सोसायटी द्वारा चलाया जाता है, जहां उनके बेटे अध्यक्ष हैं और गाजियाबाद में उनके परिवार के स्वामित्व वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में भी निर्माण कार्य किया। उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनियों, सोसायटी और ट्रस्ट के रूप में अपराध की आय को पथांतरित करके शोधित किया।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत राधा चरण साह, सदस्य, बिहार विधान परिषद द्वारा अर्जित 26.19 करोड़ रुपये (लगभग) की 2 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।